क्रमांक 2025—5 जी0एस0 71/12277

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़, 24 मई, 1971 ।

विषय : उन केसिज में पदोन्नति की कार्यविधि जब अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है, और पड़ताल चल रही हो ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान संयुक्त पंजाब के परिपत्र क्रमांक 1497—4 जी0एस0-62/4059 दिनांक 13—2—62 को ओर आकर्षित करूं और कहूं कि उपर दिये गये पत्र के साथ साथ यह लिखा गया था कि जिन केस में जांच पड़ताल के बाद प्रतिवादी के विरुद्ध प्रत्यक्षत (prima facie) केस साबित हो चुका हो यानि यदि दोषी के विरुद्ध पंजाब सिविल सेवाएं (दण्ड तथा अपील) नियम 1952 के उप नियम 7 तथा 8 के अधीन कार्यवाही करने के लिये ठोस सामग्री पाई जाए और उसके विरुद्ध नियम अनुसार कार्यवाही करने का निश्चय हो चुका हो तो इस प्रकार के अधिकारियों को ऊंचे पदों पर तब तक तरक्की न दी जावे, जब तक कि अनुशासनिक कार्यवाही पूरी न हो जाये। यह मामला सरकार के नोटिस में लाया गया है कि एक केस में प्रशासकीय विभाग ने ऐसे अधिकारी को पदोन्नत कर दिया जिस के विरुद्ध नियम 7 आफ पंजाब सिविल सेवाएं (दण्ड तथा अपील) नियम 1952 के अधीन प्रत्यक्षत (prima facie) केस साबित होने पर जांच पड़ताल आरम्भ हो चुकी थी और पूरी नहीं हुई थी। इस प्रकार की कार्यवाही सरकार द्वारा जारी की गई । उपर्युक्त हिदायतों को उल्लंघना है तथा स्पष्ट तौर पर आपत्तिजनक है ।

2. तदानुसार, यह निर्णय किया गया है कि पूर्वोक्त हिदायतों को एक बार फिर कठोरता से अनुपालन करने के लिए तमाम विभागों को बता दी जावें तथा इन को पालना न करने के मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए । यह भी निवेदन किया जाता है कि यह हिदायतें आपके अधीन कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के नोटिस में लाई जाएं और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनकी ओर से इन हिदायतों को पालना करने में कोई चूक न होगी ।

3. कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें ।

भवदीय,

ह0/-
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति वित्तायुक्त राजस्व हरियाणा तथा हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।